न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 17, गाजियाबाद।

सत्र परीक्षण संख्या 1808/2012

सरकार बनाम दर्शन आदि

धारा 420,411,412 भा०दं०सं०

थाना लिंक रोड, जिला गाजियाबाद

दिनांक–11.08.2023

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण दर्शन, महावीर व मतीन की तरफ से जरिये विद्वान अधिवक्ता हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र केवल आज के लिये स्वीकृत। उक्त पत्रावली में अभियुक्त शब्बू उर्फ राजू न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था, जिस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2023 को अभियुक्त शब्बू उर्फ राजू के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र, नोटिस जामिनान अंतर्गत धारा 446 दं०प्र०सं०, धारा 82 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत वाद सन 2012 से लम्बित है, जो कि प्राचीन प्रकृति का वाद है। लिपिक द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आदेशिकाएं जारी नहीं की गयी हैं।

प्रस्तुत वाद के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद सन 2012 से संबंधित है, जो प्राचीन वादो की श्रेणी का वाद है। प्राचीन वादों के संबंध में माननीय शीर्ष न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतु बार-बार दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है, किन्तु प्रस्तुत वाद में अभियुक्त शब्बू उर्फ राजू के अनुपस्थित होने के कारण प्रस्तुत वाद में कोई भी कार्यवाही आज दिनांक तक अग्रसारित नहीं की जा सकी है, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का अविलम्ब अनुपालन कर अभियुक्त शब्बू उर्फ राजू के विरूद्ध आदेशिकाएं जारी करना सुनिश्चित करे। आदेशिकाओं की तामील के संबंध में थानाध्यक्ष को भी पत्र जारी हो। पत्रावली दिनांक 28.08.2023 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

दिनांक 11.08.2023

सीमा सिंह

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या 17, गाजियाबाद।